भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2253

दिनांक 19/12/2025

आईसीएआर की अनुसंधान संबंधी पहलों को सुदृढ़ करना

2253. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की अनुसंधान पहलों को पुनर्जीवित करने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिष्ठित कृषि प्रौद्योगिकीविदों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या आईसीएआर ने कृषि समुदायों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के संबंध में राज्य सरकारों से लिखित प्रतिक्रिया मांगी है;

(ग) कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए आईसीएआर प्रत्येक राज्य की स्थानीय जलवायु, मृदा और भूभौतिकीय स्थितियों के अनुरूप अनुसंधान करने की किस प्रकार योजना बना रहा है; और

(घ) आईसीएआर की अनुसंधान गतिविधियों को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और किसानों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कानून पर विचार न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान कार्यक्रमों और पहल की समीक्षा करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिणामों को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए विशिष्ट कृषि तकनीकीविदों और अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके हाई-पॉवर समितियां गठित की जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं : अंतर-संस्थान संपर्क को मजबूती प्रदान करने पर डॉ. जी. वी. के. राव समिति (1988); अनुसंधान संबंधी मामलों में कार्यशील स्वायत्तता प्रदान करने हेतु डॉ. जॉल समिति (1995); तथा अनुसंधान आधार में सुधार करने और भाकृअनुप-उद्योग इंटरफेस को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. मशेलकर समिति (2005)। ऐसी अंतिम समिति का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. दीपक पेंटल ने की थी। इस समिति का उद्देश्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लागू की गई विभिन्न भाकृअनुप योजनाओं की परिणाम-आधारित समीक्षा करना था।

(ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में कुल आठ क्षेत्रीय समितियाँ कार्यरत हैं, जो विभिन्न अनुसंधान योग्य मुद्दों की समीक्षा करती हैं। चूँकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) अपने संस्थानों, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATARIs), कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के माध्यम से राज्य सरकारों को स्थान-विशिष्ट एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन में सहयोग प्रदान करता है।

(ग) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) विभिन्न कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जलवायु एवं भू-भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान करता है। इसमें विभिन्न मृदा प्रकारों, जलवायु परिस्थितियों और फसल उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास करना शामिल है। स्थानीय स्तर पर अनुसंधान योग्य समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (AICRPs) के माध्यम से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों, जल के कुशल प्रबंधन तरीकों तथा स्थानीय जलवायु दबावों के अनुकूल सतत कृषि पद्धतियों का विकास करके जलवायु-अनूकूल कृषि को भी प्रोत्साहित करता है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) प्रशिक्षण, अग्रिम-पंक्ति प्रदर्शन, ऑन-फार्म परीक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(घ) : लगभग एक शताब्दी पुरानी संस्था आईसीएआर कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक के रूप में विकसित हुई है। स्वतंत्रता के बाद से, आईसीएआर ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिषद ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक वैज्ञानिक लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किया है, जिसके तहत सभी आईसीएआर संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों/गतिविधियों की वार्षिक निगरानी अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी) और प्रत्येक पांच वर्ष में पंचवार्षिक समीक्षा दल (क्यूआरटी) द्वारा व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये समितियां संस्थागत प्रगति का आकलन करती हैं और भविष्य के अनुसंधान दिशाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसके अलावा, संस्थान अनुसंधान समिति (आईआरसी) आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और आवधिक समीक्षा की देखरेख करती है। ये सभी मूल्यांकन वैज्ञानिक आउटपुट, संस्थागत नियंत्रण और वित्तीय दक्षता का आकलन करने के लिए किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार समय-समय पर आईसीएआर की योजनाओं/कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन करती है ताकि इसके अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन किया जा सके और अनुसंधान की दक्षता, प्रभावशीलता और किसानों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही में सुधार के लिए उपाय सुझाए जा सकें। ऐसा ही हालिया मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया था, जिसमें वर्ष 2017-2020 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गई आईसीएआर की योजनाओं को शामिल किया गया था।

****